# स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

## प्रेस नोट सं0 265, दिनाकः 29–08–2021

## अन्तर्राज्यीय स्तर पर फर्जी व कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से बैंकों से लगभग 05 करोड रु0 लोन लेकर ठगी करने वाले गैंग के 02 सदस्य आगरा से गिरफ्तार।

दिनांक 29–08–2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद आगरा के भिन्न भिन्न स्थानों से फर्जी व कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से बैंकों से 05 करोड रु0 लोन लेकर ठगी करने वाले गैंग के 02 सदस्यो को आगरा से गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–**

1. अरुन पाराशर उर्फ सोमी पुत्र शिवनाथ पाराशर निवासी 45/34 एफ नगला अजीता, सेक्टर 08, थाना जगदीशपुरा, आगरा।
2. संदीप शर्मा पुत्र अमर सिंह शर्मा निवासी 45/06 ई नगला अजीता, सेक्टर 08, थाना जगदीशपुरा, आगरा।

**बरामदगीः–**

1. 4,89,140/– रूपये नकद।
2. 01 अदद कम्प्यूटर।
3. 01 कलर प्रिन्टर।
4. 01 अदद स्विफ्ट कार।( वाहन संख्या– यूपी13 ए0वी0 4663
5. 05 अदद बैक से फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर लिये गये लोन से सम्बंधित फर्जी रजिस्ट्री प्रपत्र।
6. 13 अदद फर्जी रजिस्ट्री/डीड।
7. 04 अदद मोबाईल फोन।
8. 03 अदद एटीएम कार्ड विभिन्न बैको की
9. 04 अदद पासबुक विभिन्न बैको की ।
10. 01 जमा पर्ची बुक कोटक महिन्द्रा बैक।
11. 19 अदद मोहरे
12. 06 अदद सिम कार्ड ( जिनको लोन लेते समय प्रयोग किया गया था)
13. 01 पैन ड्राइव (08 जी0बी0 तोशिबा कम्पनी)
14. 02 अदद पेपर शीट ( जिस पर फर्जी आधार कार्ड व फर्जी पैन कार्ड व फर्जी वोटर कार्ड छपे है)
15. 02 अदद चेक बुक विभिन्न बैको की ।
16. 03 अदद चेक हस्ताक्षर शुदा
17. 01 अदद आधार कार्ड।
18. 01 अदद पैन कार्ड।
19. 01 अदद डी0एल0

**गिरफ्तारी का स्थान व समयः–**

दिनांक 29–08–2021, स्थानः थाना हरीपर्वत, जनपद आगरा क्षेत्रान्तर्गत संजय पैलेस कपड़ा मार्केट ब्लाक न0–10 दुकान न0–01 ग्राउण्ड फ्लोर व समय करीब 15.48 बजे

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से अन्तर्राज्यीय स्तर पर फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों से विभिन्न बैकों से लोन स्वीकृत कराने वाले गैंग के संक्रिय होने के सम्बन्ध में सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 29–08–2021 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना हरीपर्वत, जनपद आगरा क्षेत्रान्तर्गत बैकों से फर्जी/कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से बैंक से लोन लेने के सम्बन्ध में एक अन्तर्राज्यीय गैंग सक्रिय है। यदि शीघ्रता की जाये तो इस गैंग को पकड़ा जा सकता है। प्राप्त सूचना के आधार पर निरीक्षक श्री हुकुम सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार, मु0आ0प्रो0 कमा0 राजपाल सिंह, मु0आ0 दिनेश कुमार, मु0आ0 सन्तोष कुमार, आरक्षी प्रशान्त चौहान, आरक्षी प्रदीप यादव, आरक्षी दिनेश की टीम गठित कर तत्काल मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँची। वहाँ पर एक व्यक्ति कम्प्यूटर का कार्य कर रहा था। नाम पता पूछने पर संदीप शर्मा उपरोक्त बताया पहचान तस्दीक होने पर संदीप उपरोक्त को पकड़ लिया। संदीप उपरोक्त की निशादेही पर उसके साथी अरुन पाराशर उर्फ सोमी उपरोक्त को मय स्विफ्ट कार सहित पकड़ लिया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई है।

संदीप शर्मा उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि जो कागज/दस्तावेज व मोहरे मेरी दुकान व पेन ड्राईव मे आगरा विकास प्राधिकरण, शिक्षा विभाग, नगर निगम, उ0प्र0 पुलिस विभाग, भारतीय सेना आदि के फार्म 16, सेलरी स्लिप, फोटो बरामद हुई है, इन दस्तावेजों का उपयोग मैं आई0सी0आई0सी0आई0आई0 बैंक में नियुक्त कर्मी आर्यन कुमार उर्फ अमित के कहने पर फर्जी लोन कराने के लिए करता हूॅ व हम लोग भारतीय सेना के सैनिक दर्शाकर फर्जी सैनिक का बावर्दी फोटो लगाकर कर फर्जी व कूटरचित आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भारतीय सेना का परिचय पत्र आदि बनाकर विभिन्न बैंको से लोन कराते हैं। मेरे साथ अरून पाराशर उर्फ सोमी व मनोज, रिंकी तथा दो–तीन अज्ञात व्यक्ति जिनका नाम पता मै नही जानता हूं के साथ मिलकर पैसे के लालच में करता हूॅ व बरामद रूपयों के सम्बन्ध में बताया कि ये पैसा फर्जी लोन कराने के ऐवज में मुझे मिला है।

इसी प्रकार अरून उपरोक्त ने बरामद दस्तावेजो के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग बैंक से फर्जी दस्तावेजों से हम लोग भारतीय सेना के सेनिक दर्शाकर फर्जी सैनिक का बवावर्दी फोटो लगाकर कर फर्जी व कूटरचित आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भारतीय सेना का परिचय पत्र आदि बनाकर विभिन्न बैंको से लोन कराते हैं। जिसमें आर्यन उर्फ अमित हमारे कार्य में मास्टरमांइण्ड है तथा मेरे अन्य साथी मनोज, निशांत शर्मा उर्फ टिंकी, नीरज कुमार जो कि बसन्त लाल वकील का असिस्टेन्ट है के द्वारा बिना रजिस्ट्री किये पास हुये लोन का चैक हम लोगो को दे दिया करता था जिसका पैसा हम लोग आपस में बॉट लिया करते थे।

अन्य अभियुक्तों के गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों के विरूद्व थाना हरीपर्वत, आगरा पर मु0अ0सं0 137/2021 धारा–409/420/467/468/471/472/120बी भांदवि0 के अन्र्तगत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना हरीपर्वत जनपद आगरा द्वारा की जा रही है।